न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	21.01.2021	02.12.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री सवाई सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खीम सिंह राजपुरोहित निवासी ग्रा. पो. सिलोर तह. सिवाना जिला बाडमेर एफ.बी.ओ. मैसर्स जय भवानी बीकानेर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.
2—मैसर्स जय भवानी बीकानेर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज.

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 54 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी स्वयं।

:—निर्णय—: **दिनांक 02.12.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.12.2020 को समय 03:30 पी.एम पर मैसर्स जय भवानी बीकानेर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहाँ पर श्री सवाई सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री खीम सिंह राजपुरोहित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सवाई सिंह राजपुरोहित ने स्वंय को मैसर्स जय भवानी बीकानेर मिष्ठान भण्डार बस स्टैण्ड झिलाई तह. निवाई जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान के काउन्टर में एल्यूमिनियम की 3 ट्रे में लगभग 15 किलोग्राम **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सवाई सिंह राजपुरोहित को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सवाई सिंह राजपुरोहित व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, **2** किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स) 2** किलोग्राम को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बो में बराबर–बराबर प्रत्येक डिब्बे में 500–500 ग्राम भरकर प्रत्येक डिब्बे में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर अच्छी तरह हिला–मिलाकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2723 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री सवाई सिंह राजपुरोहित तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2723 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2020 / 4406 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0 एस0 / 2381 / एक्ट / 2020 / 2253 दिनांक 17.12.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(i) के अनुसार **बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जॉच रिर्पोट अप्रार्थी को मय रजिस्ट्रर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **बाह्यी अपद्रव्य (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मावा बर्फी (खोया बेस्ड स्वीट्स)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **बाह्‌यी अपद्रव्य (Extraneous Matter)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 54 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 25,000/–(अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक